जन सूचना - I

भ्रष्टाचार को उजागर करें एवं नायक बनें

भारतीय खान ब्यूरो, नैतिक सिद्धान्त एवं इमानदारी के उच्च दर्जा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भ्रष्टाचार के किसी भी मामले पर अंकुश लगाएगा । अतः, यदि इस कार्यालय का कोई व्यक्ति आपसे घूस की मांग करता है अथवा इस कार्यालय में भ्रष्टाचार के संबंध में आपके पास कोई जानकारी है अथवा इस कार्यालय के भ्रष्टाचार के आप शिकार हैं तो आप निम्नलिखित के पास शिकायत कर सकते हैं -

(1)	महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001	(2)	मुख्य सतर्कता अधिकारी भारतीय खान ब्यूरो, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001
(3)	आरक्षी अधीक्षक (भ्रष्टाचार उन्मूलन शाखा) सी.बी.आई. सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, सेमिनरी हिल्स, नागपुर - 440 006	(4)	केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन, ब्लॉक ए, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली - 110 023

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2008 के पुरस्कृत स्लोगन (नारे)

घुन लगा अनाज बीज नही बन सकता, भ्रष्टाचार मे लिप्त राष्ट्र प्रगति नही कर सकता	The corrupt have wealth while the honest have worth & The honest have value while the corrupt have a price	पारदर्शिता का ले सहयोग मिटाओ भ्रष्टाचार का रोग
काला धन और काला मन खोखला करते देश और तन	Poverty of mind breeds corruption	यदि रहना चाहते हो शान्त मन से तो बचो सदा काले धन से
ईमानदारी और सच्चाई की क्या पहचान ? तनाव मुक्त जीवन और चेहरे पर मुस्कान	There is no worse robber than a corrupt	ईमानदार व्यक्ति राष्ट्र – विकास की शक्ति
चाहे जितना जतन करो पर थोड़ा सा मनन करो ईमानदारी अपनोओगें तभी जीवन में खुशिया पाओगे	Corruption is a short term contentment and long term punishment	सतर्कता यदि रखे हम भ्रष्टाचार फिर होगा कम
घूसखोरी से बंद हो जाता है रिश्ता आदमी हो जाता है सस्ता	Earning without lawful means is labour lost	भ्रष्टाचार की संस्कृति राष्ट्र – विकास में विकृति

जन सूचना -II

भ्रष्टाचार को उजागर करके देश को बेहतर बनाने में मदद करें ।

"अब और नहीं सहना है,
भ्रष्टाचार उजागर करने में,
सबसे आगे रहना है ।"

यदि आपको भ्रष्टाचार के बारे में कोई जानकारी है या आप स्वयं भ्रष्टाचार के शिकार हैं और किसी भयवश इसे उजागर नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है ।

भारत सरकार ने 01 अक्टूबर 2004 को आपके हित का ध्यान रखते हुए एक स्कीम निकाला है जिसके तहत भ्रष्टाचार उजागर करने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा । नाम गुप्त रखने के लिए शिकायत निम्न तरीके से दर्ज कराए -

(1) शिकायत सील बंद /सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए ।

(2) लिफाफा सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन, ब्लॉक ए, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली - 110 023 के पते पर भेजा जाना चाहिए ।

(3) लिफाफे के ऊपर "जनहित प्रकटन के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए ।

यदि लिफाफे के ऊपर उपरोक्त शीर्षक लिखा हुआ नहीं है एवं यह सील बंद नहीं है तो आयोग के लिए उक्त संकल्प (प्रस्ताव) के तहत शिकायतकर्ता का बचाव करना संभव नहीं हो पाएगा तथा शिकायत को आयोग की सामान्य शिकायत नीति के तहत निपटाना पड़ेगा । शिकायतकर्ता को अपना नाम और पता शिकायत के आरंभ में या अंत में अथवा संलग्न पत्र में देना चाहिए जिससे कि उनका नाम छुपाया जा सके ।

(4) आयोग बिना नाम से / छद्म नाम से शिकायत पर कोई विचार नहीं करेगा ।

(5) शिकायत का मजमून सावधानीपूर्वक लिखा जाना चाहिए जिससे शिकायतकर्ता के पहचान का कोई सुराग अथवा कोई विवरण मजमून में न हो । तथापि शिकायत का विवरण विशिष्ट एवं सत्यापनीय होना चाहिए ।

(6) व्यक्ति की पहचान छिपाने के उद्देश्य से आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा तथा शिकायत कर्ता को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में आयोग के साथ किसी प्रकार का कोई पत्राचार न करे । आयोग यह आश्वासन देता है कि यदि मामले का तथ्य सत्यापनीय है तो आयोग उक्त वर्णित भारत सरकार के संकल्प के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा । यदि आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो आयोग शिकायतकर्ता के साथ संपर्क करेगा ।

अत: आप सभी से अनुरोध है कि आगे बढ़े और भ्रष्टाचार को उजागर कर उसे दूर करने में सहयोग करें ।